चक 8 ML

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख को हुआ |
|---|---|---|
| 021 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री बीरबल राम (जी) ~~एडवोकेट~~ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.3.21 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)<br>श्रीगंगानगर<br><br>31.03.2021<br><br>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी का आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ग्रामीण मरूधरा बैंक कॉपी का आवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी 8 एमएल पटवार हलका महियांवाली, भू. अ.निरीक्षक नेतेवाला खाता संख्या 33/27 में प्रार्थी बीरबलराम पुत्र काहनाराम के स्थान पर बीरबलराम पुत्र कानाराम करने के आदेश दिये जाते हैं।<br><br>आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल अभिलेखागार रहे।<br><br>आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(उमेद सिंह रतनू)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>श्रीगंगानगर | |


दूरभाष नं. 0154–2446086,
ई मेल–sdogan-gan-rj.nic.in